भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1834
दिनांक 01 अगस्त, 2024

रिक्तियों को भरना

†1834. श्री डी.एम. कथीर आनंद:
डॉ. टी. सुमति ऊर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इसके सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा संबद्ध कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले रिक्त पदों को भरने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में सभी सहायता प्राप्त संस्थानों तथा सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में 1.7.2024 की स्थिति के अनुसार पदों की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की श्रेणी में रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) तथा संबद्ध कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों सहित रिक्त पदों को भरना चालू प्रक्रिया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दिनांक 01.07.2024 की स्थिति के अनुसार पदस्थता स्थिति 92849 है।

भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) क्रमशः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों और अनुदेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों के लिए आरक्षित पदों पर ध्यान देने और उन्हें भरने के लिए आवधिक रूप से विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं।

***